समक्ष माननीय अध्यक्ष म0प्र0राजस्व मण्डल सर्किट बेंच भोपाल

निगरानी क्रं. /

नबाव अहमद आ0 सत्तार अहमद आयु 60 वर्ष

निवासी मुस्लिम मोहल्ला नसरूल्लागंज

तह. नसरूल्लागंज जिला सीहोर म0प्र0 ----------------- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1-अब्दुल रसीद आ0 अब्दुल सत्तार खॉ आयु वयस्क

व्यवसाय नौकरी, निवासी नसरूल्लागंज जिला सीहोर

हाल निवासी एस. डी. ओ. ...

2-अजीज फातमा पत्नि अब्दुल सत्तार आयु 90 वर्ष

निवासी मुस्लिम मोहल्ला नसरूल्लागंज जिला सीहोर

3-लईका बी (मृतक) हितबद्ध उत्तराधिकारी

पत्नि नबाव अहमद पुत्री सुल्तान

निवासी इटावा खुर्द तह. नसरूल्लागंज जिला सीहोर

4-शहजाद खॉ पुत्र अब्दुल सत्तार खॉ आयु 36 वर्ष

निवासी मुस्लिम मोहल्ला नसरूल्लागंज जिला सीहोर ------ आप्रार्थीगण

पुनःनिरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 प्र0क्रं0 61/अपील/09-10 अब्दुल रसीद विरूद्ध अजीज फातमा आदि मे पारित आदेश दिनांक 21/11/12, पारित अपर आयुक्त महोदय भोपाल के आदेश से दुखी होकर अपास्त किये जाने बावत्

श्रीमानुजी,

रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न रिवीजन प्रस्तुत है:-

तथ्य

-संक्षेप मे रिवीजन के तथ्य इस प्रकार से है कि रिवीजनकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(10)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 505–दो/13 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–07–18	उभय पक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्र0क0 61/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा)की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में मुख्य रूप यह तर्क किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकारण ही अपील स्वीकार की गई है, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 अब्दुल रसीद का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्र. 3 के मृत्यु पश्चात उसके वारिसानों को भी रिकार्ड पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत आदेश पारित किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे। 4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क यह किया है कि ग्राम टीकामोड़ प0ह0नं0– 14 तहसील नसरूल्ला, जिला–सीहोर की नामांतरण पंजी क्रमांक 6 पर पारित आदेश दिनांक 10.05.2007 में विधि एवं प्रावधान का पालन नहीं किया गया है और न ही संहिता की धारा 109 व 110 के नियमों का पालन ही किया गया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध जानकारी दिनांक के समय सीमा	

में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयबाधित मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है इसी कारण ने अपील को समय सीमा में मानकर गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है जो विधिसंगत है, जिसे अपर आयुक्त ने भी स्थिर रखा है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने पंजी क्रमांक–06 दिनांक 10.05.2007 से नामांतरण आदेश पारित किया है। नामांतरण संशोधन पंजी पर किया गया, जबकि उभयपक्ष की सुनवाई किया जाना आवश्यक थी । स्टाम्प की चोरी की भी सम्भावना है..... प्रकरण में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 177–178(क) 109–110 के प्रावधानों को तहसीलदार ने पालन नहीं किया है । शासन को प्राप्त होने वाले मुद्रांक शुल्क का भी ध्यान नहीं रखा है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुण–दोषों पर निराकरण न कर समय–सीमा जैसी तकनिकी बिन्दु पर अपील को निरस्त करने में त्रुटि की है । इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर सुनवाई उपरांत गुण–दोषों पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 21.11.2012 स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

10/7/16

(आर.के. मिश्रा)
सदस्य